न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 30/2015 (223 आर0टी0एक्ट0)
आरसीएमएस संख्या :– 2015/00181

उनवान

1. रामेश्वरदयाल आयु करीब 47 वर्ष
2. द्वारिकाप्रसाद आयु करीब 45 वर्ष
3. सुनहरीलाल आयु करीब 40 वर्ष

} पुत्रगण चौखरिया जातिगण जाटव नि0 कासिमपुर तह0 व जिला धौलपुर।

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर धौलपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर।

..... रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 25.08.2015 प्रकरण संख्या 07/2012 उनवान रामेश्वरदयाल बनाम सरकार, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर।

अभिभाषकगण :–

1. श्री योगेश शर्मा अभिभाषक अपीलाण्ट उपस्थित।
2. श्री गजेन्द्र सिंह जादौन पैरोकार सरकार उपस्थित ।

निर्णय दिनांक :–22.03.2022

1. यह अपील इस न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर के निर्णय दिनांक 25.08.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलाण्ट ने एक राजस्व वाद वास्ते स्वत्व घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी खसरा नम्बर 1411/1272 रकवा 06 बीघा 13 विस्वा वाके ग्राम कासिमपुर तहसील व जिला धौलपुर जिसका मूल खसरा नम्बर 1272 रकवा 30 बीघा 8 विस्वा है तथा खसरा नम्बर 1272 का गत खसरा नम्बर 826 रकवा 36 बीघा 16 विस्वा है। वादीगण के पिता चौखरिया पुत्र फद्दी जाति चमार निवासी कासिमपुर गत खसरा नम्बर 826/6 रकवा 4 बीघा वाके ग्राम कासिमपुर के गैर खातेदार काश्तकार थे उक्त आराजी का आवंटन चौखरिया को दिनांक 05.10.1962 से विधिवत रूप से आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किया गया था तथा खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये। चौखरिया के मरणोपरान्त विवादित आराजी पर उनके वारिस हम वादीगण/अपीलाण्ट का निरन्तर कब्जा काश्त है। परन्तु चौखरिया की बैक पर बंदोबस्त विभाग ने गत खसरा नम्बर 826 का हाल खसरा नम्बर 1272 कायम कर वादीगण के

पिता के नाम हो रहे गैर खातेदारी इन्द्राजों को लोपित कर विवादित आराजी को सिवायचक अंकित कर दिया। जबकि बन्दोबस्त विभाग को इस प्रकार इन्द्राज परिवर्तन करने का कोई अधिकार हासिल नहीं था। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराज़ी का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुये, बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। विवादित आराजी का विधिवत आवंटन अपीलाण्ट के पिता को दिनांक 05.10.1962 में हुआ था एवं अपीलाण्ट के पिता विवादित आराजी पर बतौर गैर खातेदार दर्ज अभिलेख रहे एवं उनके बाद उनके विधिक वारिसान, अपीलाण्ट विवादित आराजी पर काबिज काश्त हैं। अपीलाण्ट ने विवादित आराजीयात पर विधिवत आवंटन होना व निरन्तर अपना कब्जा काश्त सावित किया है जिसके समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के तौर पर प्रदर्श–4 व प्रदर्श–5 व जमाबन्दी संवत 2020–23 तथा खसरा गिरदावरी प्रदर्श–2 व 3 प्रस्तुत किये गये थे। इसके अलावा मौखिक साक्ष्य पीडब्ल्यू 1 व 2 से स्वत्व कब्जे को साबित किया था। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजीयात पर वादी का कब्जा काश्त नहीं मानकर आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित की है। मिसिल बन्दोबस्त प्रदर्श–7 जो कि बन्दोबस्त विभाग ने तैयार की है, में चौखरिया के नाम के इन्द्राज लोपित कर दिये। जबकि बन्दोबस्त विभाग को इस प्रकार इन्द्राज परिवर्तन का कोई अधिकार हासिल नहीं थें। प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है जबकि अपीलाण्ट ने अपनी दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से अपना कब्जा एवं स्वत्व दोनों साबित किये हैं। इसके अलावा अपीलाण्ट्स ने प्रदर्श–11 सजरा प्रमाण पत्र तथा प्रदर्श–10 मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया था जिससे अपीलाण्ट्स स्व0 चौखरिया के वारिस साबित होते हैं। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर ध्यान ना देते हुये मनमाने तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप सही है। विवादित आराजी पर वादी अपीलाण्ट का कोई कब्जा काश्त नहीं है एवं ना ही उन्होनें कथित आवंटन के दस्तावेजात ही प्रस्तुत किये हैं। अपीलाण्ट विवादित आराजी पर बतौर गैर खातेदार गलत रूप से दर्ज है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण तथ्यो की जॉच उपरान्त अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। वादी/अपीलांट अपने हक में विवादित आराजी का आवंटन दिनांक 05.10.1962 में होना कथन करते हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थना पत्र आवंटन दिनांक

05.10.1962 के अवलोकन से जाहिर है कि उक्त प्रार्थना पत्र पर किसी भी सक्षम अधिकारी की सील, पदनाम आदि का उल्लेख नहीं है। मात्र हस्ताक्षर हो रहे हैं। जिससे स्पष्ट नहीं है कि आवंटन किस सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया है। इसके अलावा विवादित आराजी पर अपीलाण्ट का निरन्तर कब्जा काश्त हो, ऐसा भी कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा वादी/अपीलाण्ट ने आवंटन के उपरान्त कब्जा सौपने का पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया है एवं ना ही आवंटन आदेश के क्रम में नामान्तकरण ही पेश किया है। बंदोबस्त विभाग ने गत खसरा नम्बर 826 का हाल खसरा नम्बर 1272 रकबा 30 बीघा 8 बिस्वा बाके ग्राम कासिमपुर कायम करते हुये सिवायचक दर्ज किया है। जिससे सिद्ध होता है कि वक्त बंदोबस्त वादीगण का विवादित आराजी पर कब्जा नहीं था। इसलिये बंदोबस्त विभाग ने सरकार के खाते में भूमि को दर्ज किया गया है। इसके अलावा वादी/अपीलाण्ट ने बन्दोबस्त के बाद 30 वर्ष बाद दावा पेश किया है। इतने समय तक वादी/अपीलाण्ट मौन क्यों रहे बाबत् दावे में कोई उल्लेख नहीं है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की पूर्ण विवेचना/समीक्षा की जाकर विवेचनात्मक, तनकीदार तार्किक निर्णय पारित किया है। जिसमें हम हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य पाते हैं।)

अतः आदेश है कि अपील अपीलण्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 25.08.2015 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर, नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 22.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22.03.2022

(अखिलेश कुमार पिपल)
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर